न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 48 / 2022

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 मिश्री बाई पुत्र मंगलाराम, माता विधा देवी 2 पत्नि स्व0 देवाराम, जाति घांची, नि0 पाली दरवाजे के बाहर सोजतसिटी, तह0 सोजत, जिला पाली।	1	बुधाराम पुत्र भक्तीराम, जाति घांची, नि0 छोटा खुरर्मिया का बास, जोधपुरिया गेट के अंदर, सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री भगवतीप्रसाद चौहान अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 28.07.2022

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत् विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में नया खाता संख्या 795 के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.5000 है0, खाता संख्या 1372 के खसरा नंबर 2434 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2435 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 2436 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 2580 रकबा 0.4600 है0 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.7200 है0, तथ नया खाता संख्या 2105 के खसरा नंबर 2418 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2419 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2420 रकबा 0.0500 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1300 है0 स्थित है। दिनांक 07.02.2022 को वादस्थ कृषि भूमि की देखरेख करने व कब्जा काश्त करने हेतु मौके पर गई थी कि अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ कृषि भूमि पर आया तथा प्रार्थीया को ऐलानिया धमकी देने लगा कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि की खातेदारी मेरे स्वयं के नाम की है इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि से तुझे बेदखल कर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि की खातेदारी मेरे स्वयं के नाम की है। इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि से तुझे बेदखल कर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि को छोटे—छोटे भूखण्डो में विभाजित कर अन्यंत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, बक्शीश रहन इत्यादि कृषि भ्झूमि मेरे नाना स्वर्गीय किशनाराम की हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि है जिस कृषि भूमि में तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है और न ही तुम्हे उपरोक्त कृषि भूमि में छोटे छोटे भूखण्डो में विभाजित कर बेचान हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है तब अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीयो को ऐलानिया कहा कि मैने व मेरे पिता ने उपरोक्त कृषि भूमि अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा दी है। जिसके बाद प्रार्थीया ने राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर स्वर्गीय किशनाराम के विधिक उतराधिकारीयों को छुपाते हुए बलो बाले कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी जिसे करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही था। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जा काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अनावश्यक रूप से दखलअंदाजी उत्पन्न कर बेदखल करने पर उतारू है तथा उक्त कृषि भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात तैयार करवाकर उपरोक्त कृषि भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो में विभाजित कर बेचान, हस्तान्तरण करने पर उतारू है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के नाना स्वर्गीय किशनाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि होने से तथा प्रार्थीया स्वर्गीय किशनाराम की जाईन्दा पुत्री विधा देवी की पुत्री होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादस्थ कृषि भूमि सम्पति संख्या ए व बी में प्रार्थीया अपने 1/30 हक हिस्से की तथा सम्पति संख्या संख्या सी में स्वर्गीय किशनाराम के हक हिस्से में से अपने 1/30 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाये जाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या 01 फर्जी व कूटरचित दस्तावेजत के आधार पर प्रार्थीया के हक हिस्से की कृषि भूमि का अन्यंत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण कर प्रार्थीया को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अनावश्यक रूप से दखलअंदाजी कर बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपने 1/30 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0 पत्र बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीया के नाना स्व0 किशनाराम की हक हकूक, कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, स्वर्गीय किशनाराम का निवर्सीयत स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीया स्वर्गीय किशनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से स्वर्गीय किशनाराम की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/30 हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है यदि अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि अन्यंत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण बक्शीश रहन इत्यादि कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी। जिसका मूल्यांकन कदाति रूपयों पैसो में नहीं आंका जा सकेगा इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

इसलिए यह प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण राज0 काश्त0 अधि0 212 का पेश किया है। इस प्रकार अधिक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में नया खाता संख्या 795 के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.5000 है0, खाता संख्या 1372 के खसरा नंबर 2434 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2435 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 2436 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 2580 रकबा 0.4600 है0 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.7200 है0, तथ नया खाता संख्या 2105 के खसरा नंबर 2418 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2419 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2420 रकबा 0.0500 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1300 है0 कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बक्सीस, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि करने से रोका जाकर तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से रोका जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। प्रस्तुतीकरण तिथि दिनांक 09.03.2022 को अधिवक्ता प्रार्थीया को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

विधिक प्रक्रियानुरूप सुनकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में नया खाता संख्या 795 के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.5000 है0, खाता संख्या 1372 के खसरा नंबर 2434 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2435 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 2436 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 2580 रकबा 0.4600 है0 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.7200 है0, तथ नया खाता संख्या 2105 के खसरा नंबर 2418 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2419 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2420 रकबा 0.0500 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1300 है0 कृषि भूमि में आगामी आदेश तक बेचान, रहन अन्य हस्तांतरण आदि करने से अप्रार्थीगण को रोका जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी बुधाराम की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया मूल वाद में सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दिनांक 05.05.2022 को जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीया ने राजस्व वाद बिल्कुल ही गलत, आधारहीन, मिथ्या व बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया है जिसमें प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया ने दिनांक 07.12.2022 को वादग्रस्त कृषि भूमि की देखरेख करने व कब्जा काश्त करने हेतु मौके पर जाना बताया है, जो सरासर गलत एवं झूठ है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा व काश्त नहीं है, उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया उसके पिता व माता का कभी भी कब्जा नही रहा है न ही वर्तमान में प्रार्थीया का कोई कब्जा है। जब प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त है ही नही तो अप्रार्थी द्वारा बेदखल करने की धमकिया देने के प्रार्थीया के कथन सरासर गलत एवं झूठ एवं कपोल कल्पित है। प्रार्थीया द्वारा तथाकथित वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया ने किशनाराम को अपना नाना होना बताया हैं। लेकिन किशनाराम का स्वर्गवास कब व किस वर्ष हुआ नही बताया है, उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया की माता के नाम खातेदारी दर्ज हुई है या नही उसका भी उल्लेख प्रार्थीया ने नही किया है। किशनाराम प्रार्थीया के नाना होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी का कोई कब्जा नही होने एवं भक्तिराम निकट व वैध वारिसान होने से वर्ष 1971 में जरिए नामान्तरण संख्या 659 में भक्तिराम पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज किया गया, जिस समय भी उक्त कृषि भूमि पर भक्तिराम/भक्तीराम का ही कब्जा काश्त होना उक्त दस्तावेज से भली भांति साबित है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नही रहा है न ही वर्तमान में कोई कब्जा है। अप्रार्थी ने कभी प्रार्थीया को उक्त भूमि अपने नाम करवाने बाबत् धमकिया नही दी। वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हुई 50 वर्ष हो चुके है तथा अप्रार्थी के पिता भक्तीराम का स्वर्गवास वर्ष 1994 में हो चुका है तथा उसके बाद अप्रार्थी के नाम उक्त कृषि भूमि दर्ज हुई तथा खसरा नंबर 2417 अप्रार्थी की खरीदसुदा स्वअर्जित कृषि भूमि हैं प्रार्थी 50 वर्षो के दौरान ऐसा कोई उजर नही किया न ही कोई क्लेम आदि किया हैं अप्रार्थी के पिता उक्त कृषि भूमि पर उनके जीवनकाल में काबिज चले थे तथा अप्रार्थी भी वक्त खरीद से एवं अपने पिता से विरासत में प्राप्त होने से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा बोना फाईड भी अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने किसी भी राजस्व

अधिकारियो से मिलीभगत नही की है जब वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा है नही तो कब्जा काश्त में दखलअंदाजी पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी ने कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार नही किये है। प्रार्थीया ने किशनाराम को नाना होना बताया है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कोई दसतावेज पेश नही किया है। किशनाराम का स्वर्गवास कब हुआ नही बताया है। प्रार्थीया ने विधा देवी को किशनाराम की पुत्री होना बताया है, लेकिन अप्रार्थीन ने उक्त कृषि भूमि पर विधा देवी को कभी भी काश्त करते नही देखा है न ही विधा देवी द्वारा कभी किसी प्रकार का वाद आदि किया है। प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही है न ही कभी कब्जा रहा है। प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ऐसा कोई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार नही किये है, जब प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त एवं हक व अधिकार है ही नही तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खरीदसुदा रेकर्डेड खातेदार है तथा अपनी उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया को उक्त भूमि पर काश्त करते अप्रार्थी ने अपने जीवनकाल में कभी भी नही देखा न ही विधा देवी को काश्त करते देखा है। किशनाराम को अप्रार्थी ने देखा तक नही है। अप्रार्थी के जन्म से पहले ही किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका था। अप्रार्थी के पिता भक्तीराम के नाम खातेदारी दर्ज हुए 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा अप्रार्थी के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1994 में हो चुका था, जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुए है तथा खसरा संख्या 2417 अप्रार्थी को जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद करने से हक अधिकार प्राप्त हुए है। जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीया कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। प्रार्थीया ने किशनाराम का स्वर्गवास कब व किस वर्ष हुआ नही बताया है। प्रार्थीया ने किशनाराम को नाना होना बताया है। उसके सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में कतई नही बनता है। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा विरासत में प्राप्त हुई है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया कतई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही हे। अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादीया ने जबाबबुल जबाब पेश कर अंकित किया है कि जबाब के जबाब में प्रार्थीया को वादपत्र में पूर्णत सफलता प्राप्त होगी तथा प्रार्थीया ने दस्तावेजी आधारो पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अप्रर्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के पद संख्या 02 का जबाब में प्रार्थीया के नाना के निंवसीयति स्वर्गवास हो जाने के बाद अप्रार्थी बुधाराम के पिता भक्तिराम ने राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत कर प्रार्थीया के नाना किशनाराम को लाऔलाद फौत बताये हुए किशनाराम की सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामानतरण अपने नाम दर्ज करवा दिया, जबकि किशनाराम के स्वर्गवास के समय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तीन जायन्दा पुत्रियां विधा देवी, डगराई व सोनी बाई जीवित थी, तीनो ने मिलकर ही किशनाराम की सेवा चाकरी इत्यादी की थी। अप्रार्थी के पिता भक्तिराम द्वारा अपने नाम नामान्तरण संख्या 659 वर्ष 1971 में दर्ज किया, जो नामान्तरण प्राथ्रीया के हक व अधिकरो के विरू0 एबिनिशियो वोईड है जिस नामानतरण के आधार पर भक्तिराम को किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्रापत नही होते हैं भक्तिराम के एकमात्र संतान अप्रार्थी बुधाराम तथा पत्नि दलकी देवी थी, इसके अलावा भक्तिराम के अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नही थे, उसके बावजूद भक्तिराम द्वारा किशनाराम की सम्पति को हड़प करने के उधेश्य से विधि विरूद्ध फर्जी व कूटरचिज तरीके से खसरा संख्या 2417 रकबा 0.5000 है0 कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री दिनांक 05.12.1989 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित करवाई गई, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 05.12.1989 में टाईप द्वारा अप्रार्थी बुधाराम व दलकी पत्नि भक्तिराम का नाम काट छाट कर अतिरिक्त जोडा गया है, बेचान रजिस्ट्री में अतिरिक्त नाम जोड़ने व काट छाट किये जाने का भी नोट अंकन सुदा नही है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बेचान रजिस्ट्री निष्पादित किये जाने के पश्चात फर्जी व कूटरचित तरीके से बेचान रजिस्ट्री में काट छांट कर अतिरिक्त नाम जोड़े गये है जो बेचान रजिस्ट्री पूर्णत फर्जी व कूटरचित तरीके है, जिस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर अप्राथ्री बुधाराम को किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार व्याप्त नही हैं वक्त बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी बुधाराम मात्र 05 वर्ष की आयु का था, जो नाबालिग था, जिसके द्वारा बेचान रजिस्ट्री में वर्णित प्रतिफल की राशि भक्तिराम पुत्र पोकरराम को रोकड़ अदा कर कृषि भूमि खरीद किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से की भूमि पर लगातार कदीमी रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस अप्रार्थी बुधाराम का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। राजस्व अधिकारीयो द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के पिता भक्तिराम के नाम दर्ज खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी बुधाराम के पक्ष में किये गये बेचान रजिस्ट्री प्रारम्भः शून्य व निष्प्रभावी है, जिस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर अप्रार्थी बुधाराम को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। बेचान रजिस्ट्री दिनांक 05.12.1989 के आधार पर बुधराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि के आधार पर अप्रार्थी वादस्थ कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो पैसो में नही आका जा सकेगा।

अतः प्रार्थीया की ओर से जबाबबुल जबाब पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा0 पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावे तथा अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में नया खाता संख्या 795 के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.5000 है0, खाता संख्या 1372 के खसरा नंबर 2434 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2435 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 2436 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 2580 रकबा 0.4600 है0 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.7200 है0, तथ नया खाता संख्या 2105 के खसरा नंबर 2418 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2419 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2420 रकबा 0.0500 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1300 है0 कृषि भूमि सजरा वंशावली अनुसार प्रार्थीया के नाना की पुश्तैनी व पैतृक कब्जे काश्त की है, जो अविभाजित है, जिसमें प्रार्थीया का भी हक हिस्सा है। इसलिए प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने तथा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदारजी करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि में रेकर्डेड खातेदार है तथा अपनी उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया को उक्त भूमि पर काश्त करते अप्रार्थी ने अपने जीवनकाल में कभी भी नही देखा न ही विधा देवी को काश्त करते देखा है। किशनाराम को अप्रार्थी ने देखा तक नही है। अप्रार्थी के जन्म से पहले ही किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका था। अप्रार्थी के पिता भक्तीराम के नाम खातेदारी दर्ज हुए 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा अप्रार्थी के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1994 में हो चुका था, जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुए है तथा खसरा संख्या 2417 अप्रार्थी को जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद करने से हक अधिकार प्राप्त हुए है। जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। धारा 40 के अनुसार काबिज काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। वर्ष 1971 से नामान्तकरण में काबिज काश्त होने इन्द्राज है। प्रार्थीया की माता विद्यादेवी ने अपने जीवनकाल में कभी भी खातेदारी अधिकारों के लिए कोई उग्र एतराज नही किया है। प्रार्थीया कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए–

आआरटी 2022(1) पेज 248, सिविल टाईम्स राजस्थान हाई कोर्ट 202(1) पेज 43, सिविल टाईम्स राजस्थान हाई कोर्ट 202(1) पेज 148।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र ज0प्रा0 पत्र जबाबुल जबाब एवं दस्तावेजात तथा अधिवक्ता मय अप्रार्थी फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण/ दृष्टांतों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीया द्वारा अपने जबाबुल जबाब में स्वीकार किया है कि वर्ष 1971 में नामान्तरकरण संख्या 659 दर्ज करते समय किशनाराम व मगाराम की पुत्रीया विद्या देवी डगराई सोनी बाई व दाखुबाई नाम इन्द्राज नही किया गया। अर्थात उक्त समय इनके द्वारा अपने हक अधिकारो के लिए कोई उज्र एतराज पेश नही किए न ही ऐसे कोई दस्तावेज पेश किए है न ही प्रार्थिया माता का नाम राजस्व रेकर्ड में इद्राज ही हुआ प्राथिया के नाना किशनाराम है न कि भक्तीराम जो सजरा वंशावली में दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादस्थ भूमि में सें अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2417 की भूमि को खरीद की है अर्थात स्वअर्जित है । जिसका अप्रार्थीगण ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थी का नाम इद्राज किया जाना प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ है। अप्रार्थी 01 विरास्त के हक अधिकार से राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 01 वादस्थ भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। विरासत से अप्रार्थी के पिता तथा तत् पश्चात अप्रार्थी बुधाराम दर्ज हुए जो 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। उक्त समस्त तथ्यो का मूल वाद में जबाब दावा पेश होकर तनकियात कायमी पश्चात साक्ष्य सबूतो एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवचेन / विश्लेषण प्रार्थिया के हक अधिकारों का विनिश्चय संभव हो सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रार्थिया की माता जो इनके पूवे के हक अधिकारी होने के तथ्य पत्रावली में रेकर्ड पर नही आने से प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड नही व अपूर्ण तथ्यो से युक्त है। वादस्थ भूमि का अप्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार है फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अधिवक्ता अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त / उद्धरण भी हस्तगत प्रकरण में उचित चस्पा होते है। हस्तगत प्रा0 पत्र के प्रकरण में मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अपूर्ण तथ्यों से युक्त होने तथ्यहीन, सारहीन आधारहीन एवं युक्ति युक्त सुसंगत नही होने तथा क्लीन हेण्ड से पेश नही करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत